PV D

र्शिजस्थान-सरकार राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

17 (340)

क्रमाक प.९(४४)राज. / ग्रुप-1 / 2013

जयपुर, दिनांक :- 10/7/13

:- अधिसूचनाः-

राजरथान भू-राजरव अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला जालौर की तहसील सांचोर के मूल राजरव ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम सख्या—6 म अंकित मजरों / ढाणियों को एतद्पश्चात राजरव गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल दहन से कम होकर कालम संस्था—8 के अनुसार होगाः—

क्र०स	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हैक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राग का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टर में)		दूरी कि0मी 0में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल	ginte	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 .	10
1	जालीर/ साबार	कारोला	3704	2027.69	भूरा की ढाणी	527	161.67	04	1866.02
2.	~	कारोला	3177	1866.02	जीवा का गालिया	453	430.66	02	1435.36

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर जालौर को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज—1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(सूबेसिंह यादव)

संयुक्त शासंन सचिव

Mathur- 2013